

न्यायालय :- द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

शृंखला न्यायालय बैहर
(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

नियमित व्यवहार अपील क्र.- 26 / 2017

Filing No-. R.C.A./205/2017

संस्थित दिनांक -04.04.2016

- 1- उजियारसिंह आयु 55 वर्ष पिता स्व. सोनसिंह जाति गोंड
 - 2- सुनीताबाई आयु 45 वर्ष पति स्व. दादुलाल जाति गोंड
 - 3- विनोद आयु 38 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
 - 4- मनोज आयु 35 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
 - 5- रिकेश आयु 21 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
 - 6- मुकेश आयु 19 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
 - 7- जयसवाल आयु 48 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
- सभी निवासी-ग्राम दानुटोला तहसील परसवाड़ा
जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - अपीलार्थीगण

- / / विरुद्ध / / -

- 1- कमलेश आयु 32 वर्ष पिता सुन्दरलाल जाति गोंड
 - 2- संतोष आयु 29 वर्ष पिता सुन्दरलाल जाति गोंड
 - 3- अनीता आयु 38 वर्ष पिता सुन्दरलाल जाति गोंड
- सभी निवासी-ग्राम मोहबट्टा तह. बैहर जिला बालाघाट
म0प्र0 शासन द्वारा :-
कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.)- - - - उत्तरवादीगण

=====

{न्यायालय: व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी श्री सिराज अली द्वारा व्य.वाद क्रमांक 103ए/2014 उजियार सिंह वगैरह बनाम कमलेश वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.03.2016 से क्षुब्ध होकर धारा 96 व्य.प्र.सं. के तहत अपील पेश की है}

=====

श्री आर.के. पाठक अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण।

श्री एम.पी. शरणागत अधिवक्ता वास्ते उत्तरवादी क्रमांक-1, 2, 3

उत्तरवादी क्रमांक 4 अनुपस्थित।

=====

- / / / निर्णय / / / -

(आज दिनांक 07 नवम्बर 2017 को घोषित)

1. अपीलार्थीगण ने यह नियमित व्यवहार अपील न्यायालय- व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट तत्कालीन पीठासीन अधिकारी {श्री सिराज अली} द्वारा व्यवहार वाद

क्रमांक 103ए/2014, उजियारसिंह वगैरह बनाम कमलेश वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14.03.2016 से परिवेदित होकर यह नियमित अपील पेश की है।

2. स्वीकृत तथ्य यह है कि वादीगण दानूटोला तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट के स्थायी निवासी है। प्रति.क. 1 से 3 ग्राम मोहबट्टा तहसील बैहर जिला बालाघाट के निवासी है। प्रति.क. 4 म.प्र. राज्य द्वारा कलेक्टर बालाघाट है। कृषि भूमि का मामला होने से प्रति.क. 4 को औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त भूमि के संबंध में उच्चतम कृषि जोत अधिनियम के अधीन मामला नहीं चला है न ही लंबित है और न ही यह भूमि उक्त अधिनियम में आती है। यह भी स्वीकार है कि बुद्ध के फौत होने के बाद तीनों वारसान रामसिंह, सोनसिंह, मंगल सिंह अलग अलग हो गये थे। वादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। सोनसिंह, मंगलसिंह उनके जीवनकाल में अलग हो गये थे उनके फौत होने के बाद उनके वारसान अलग अलग निवास कर रहे है।

3. विचारण न्यायालय के समक्ष पेश मूल वाद का सार यह है कि मूल पुरुष बुद्ध के 4 पुत्र—रामसिंह, सोनसिंह, मंगलसिंह थे। रामसिंह पत्नि प्रीतिबाई थी, दोनों की संतान सुक्कोबाई थी। सुक्कोबाई के पति सुंदरलाल थे। सुंदरलाल तथा सुक्कोबाई को प्रतिवादीगण अनीता, कमलेश, संतोष पैदा हुए। सोनसिंह का पुत्र उजियारसिंह वादी क. 1 है। बुद्ध के तीसरे पुत्र मंगलसिंह के 2 पुत्र दादूलाल और जयसवाल थे। दादूलाल की पत्नि सुनीता थी। दादूलाल सुनीता की संतान विनोद, मनोज, रिकेश व मुकेश है। सुनीता वादी क. 2 है उनकी संतान वादी क. 3 से 6 हैं और जयसवाल वादी क. 7 है।

4. मूल पुरुष बुद्ध के स्वामित्व की ग्राम दानूटोला प.ह.न. 13/27 रा.नि.मं. मजगांव तहसील परसवाड़ा जिला बालाघाट स्थित ख.क. 40 रकबा 14.21 एकड़ जमा 3.75 रुपया थी। मूल पुरुष बुद्ध के फौत पश्चात् तीनों भाई रामसिंह, सोनसिंह व मंगल का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ। ग्राम दानूटोला रैयतवारी प्रथा के अंतर्गत शासित होता था। परिवार के एक ही व्यक्ति का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज होता था। बुद्ध ने अपने जीवनकाल में भूमिधारी के रूप में रामसिंह का नाम दर्ज करवा दिया था। रामसिंह को विरासत हक में भूमि प्राप्त हुई थी। इस कारण बुद्ध के तीनों वारसानों का नाम दर्ज हुआ।

5. बुद्ध के फौत होने के बाद तीनों भाई अलग अलग हो गये उन्होंने भूमि का बंटवारा कर अपने अपने हिस्से में आयी भूमि पर काबिज कास्त हुए। लगातार काबिज कास्त चले आ रहे है। जुलाई 2013 में प्रतिवादीगण ने एक रय होकर कहा कि इस जमीन पर तुम लोगों का हिस्सा

नहीं है केवल रामसिंह का नाम दर्ज है। उन्होंने जबरन कब्जा कर लिया तत्पश्चात् प्रतिवादीगण ने राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। जिसमें रामसिंह पिता बुद्ध, कमलेश, संतोष, अनीता पिता सुंदरलाल का नाम दर्ज था। वाद कारण दिनांक 08.01.14 को धमकी दिए जाने से उत्पन्न न्यायालय की अधिकारिता में हुआ। स्वत्व घोषणा हेतु 1000 रु. मूल्यांकन कर 500 रु. न्यायालय शुल्क अदा हैं भूमि का लगान 3.75 रुपए होने से लगान का बीस गुना अर्थात् 75/-रु. पर 10/-रु. किस्मवार बंटवारा हेतु अदा है। कुल मूल्यांकन 1075/-रु. कर कुल न्यायालय शुल्क 510/-रु. अदा है। दावा डिक्री कर वादभूमि में बुद्ध के तीनों पुत्रों का 1/3-1/3 अंश घोषित किए जाने, बंटवारा कराए जाने की आज्ञा पारित करने की याचना कर वाद व्यय दिलाए जाने की याचना की है।

6. प्रतिवादी क्रमांक 1, 2, 3 ने संयुक्त वादोत्तर पेश कर स्वीकृत तथ्य को छोड़कर शेष तथ्यात्मक और आक्षेपयुक्त अभिवचनों को पदवार इंकार किया है तथा विशिष्ट कथन करते हुए पद क्रमांक 13 से 15 में अभिवचन किया है कि रामसिंह पिता बुद्ध के द्वारा वादग्रस्त भूमि को स्वयं क़य किया गया था। सोनसिंह और मंगलसिंह ने राजस्व कर्मचारियों से सांठगांठ कर सन् 1956 में वादग्रस्त भूमि पर रामसिंह के साथ शामिल शरीक अपना नाम दर्ज करवा लिया था। तत्संबंध में रामसिंह ने कोई सहमति नहीं दी थी। तहसीलदार को आवेदन देने पर दिनांक 31.01.1968 को सोनसिंह व मंगलसिंह का नाम शामिल शरीक से खारिज कर दिया गया और रामसिंह का नाम वादभूमि पर दर्ज रहा जो वर्तमान तक है। वादभूमि पर प्रति.क्र. 1 से 3 का ही कब्जा है। वादीगण का वाद अवधिबाह्य है। वादभूमि पैतृक न होने से मंगलसिंह व सोनसिंह का कोई हक न होने से वादीगणों का कोई हक अधिकार नहीं है, झूठा वाद पेश किया है, 25000/-रु. क्षतिपूरक राशि दिलाई जाकर दावा निरस्त किए जाने की याचना की है।

7. प्रस्तुत अपील के आधार का सार यह है कि विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य का समुचित मूल्यांकन न कर विधि विरुद्ध ढंग से निर्णय, डिक्री पारित की है, दस्तावेज क्रमांक 3 का समुचित मूल्यांकन नहीं किया है, अपीलार्थीगण के साक्षियों के कथन का लेषमात्र भी परिशीलन नहीं किया है, उत्तरवादी क्रमांक 1 से 3 की मौखिक साक्ष्य पर विश्वास कर पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है। उत्तरवादी क्र. 1 से 3 ने उनके अभिवचन के समर्थन में दस्तावेज पेश नहीं किए हैं तब भी त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है, पारित निर्णय आज्ञा पारित किए जाने योग्य है, अन्य आक्षेप अंतिम तर्क के समय लिए जावेंगे, निर्णय आज्ञा दिनांक 14.03. 2016 को अपास्त कर अपीलार्थीगण के पक्ष में आज्ञा पारित किए जाने की याचना की कि - मौजा दानूटोला हल्का नंबर 13 रा.नि.मं. परसवाडा

तहसील बैहर स्थित वादभूमि में मूल पुरुष बुद्ध के चारसान रामसिंह के समान ही सोनसिंह और मंगलसिंह का बराबर-बराबर का हक व अंश है, समान स्वत्व की घोषणा की आज्ञाप्ति पारित की जावे और 1/3-1/3 अंश का बंटवारा किए जाने की आज्ञाप्ति पारित किए जाने की याचना की है।

8. अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न है कि :-

क्या विद्वान विचारण न्यायालय ने व्य.वा.क. 103ए/2014 उजियारसिंह वगैरह बनाम कमलेश वगैरह में पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 14.03.2016 में तथ्य की, विधि की त्रुटि तथा साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि किए जाने से उक्त निर्णय एवं आज्ञाप्ति हस्तक्षेप योग्य है ?

9. अपील में उभयपक्ष के द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। अपीलार्थी की ओर से किए गए तर्क के संदर्भ अभिलेख पर आयी मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया।

10. उजियारसिंह (वा.सा.1), संभू सिंह (वा.सा.3), कमलेश (प्र.सा.1), दिलीप सिंह (प्र.सा.2), जालमसिंह (प्र.सा.3) के आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश मुख्य कथनों के पश्चात् आमिर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन कंपनी विरुद्ध शापुरजी डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड ए.आई.आर.2004 सु. को. 355 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अनुरूप न्यायालय के द्वारा टीप अंकित न किए जाने से उनके मुख्य कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। कमल सिंह (वा.सा.2) के मुख्य कथन के पश्चात् उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में टीप अंकित है।

11. कमल सिंह (वा.सा.2) वाद में पक्षकार नहीं है जिसने मुख्य कथन में पद क्रमांक 2 में साक्ष्य दी है कि प्रति.क. 1 से 3 के पूर्वज बुद्ध के 3 पुत्र रामसिंह, मंगलसिंह, सोनसिंह थे जो फौत हो चुके हैं। बुद्ध के फौत होने के बाद रामसिंह का नाम वादभूमि में दर्ज हुआ। बुद्ध के जीवनकाल में रामसिंह का नाम दर्ज हुआ। रैयतवारी प्रथा समाप्त होने पर बुद्ध के तीनों वारसान रामसिंह, सोनसिंह, मंगलसिंह का नाम दर्ज हुआ वे तीनों अलग हो गए, मौके पर अलग अलग बराबर-बराबर तीन हिस्से हो गये, अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबित कास्त करते चले आ रहे हैं।

12. माह जुलाई 2013 में प्रतिवादीगण एक राय होकर वादीगण के कब्जे व स्वामित्व की भूमि में आकर कहने लगे कि आपका हक हिस्सा नहीं है। जमीन रामसिंह और उनके नाम दर्ज है इसलिए वे कब्जा करेंगे जबकि उनका 1/3-1/3 अंश है, घोषणार्थ वाद पेश किया है, बंटवारा हेतु वाद पेश किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में यह कथन किया है कि उसके शपथपत्र में सोनसिंह, रामसिंह, मंगलसिंह अलग अलग रहते थे लिखा हो तो कारण नहीं बता सकता। यह स्वीकार किया है कि उन तीनों का आपस में

बंटवारा हुआ था कि जानकारी साक्षी को नहीं है। वादग्रस्त जमीन कितनी है व खसरा नंबर क्या है उसको नहीं मालूम।

13. इसी साक्षी ने यह इंकार किया है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण कास्त करते हैं। स्वतः कहा कि विवादित भूमि का लगान उजियारसिंह, दादूलाल, जयसवाल अदा करते हैं। पद क्रमांक 8 में इंकार किया है कि वादग्रस्त भूमि का बंटवारा नहीं हुआ है। पद क्रमांक 9 में स्वीकार किया है कि वादी प्रतिवादीगण के बीच जुलाई माह में कोई विवाद हुआ, की जानकारी नहीं हैं। यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर कब्जे के संबंध में कोई विवाद नहीं हुआ है। साक्षी के शपथपत्र में जुलाई माह में एक राय होकर कब्जे के संबंध में विवाद करने की बात लिखी है किंतु ऐसी कोई घटना नहीं घटी है। शपथपत्र में ऐसी बात लेख हो तो कारण नहीं बता सकता।

14. उजियारसिंह (वा.सा.1) ने न्यायालय के समक्ष लेख किये गये मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 8 में साक्ष्य दी है कि उसने अपने दावे के समर्थन में विवादित भूमि का नक्शा प्रदर्श पी-1, पांचसाला खसरा वर्ष 2013-14 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2 भू अधिकार वर्ष 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-3 है। इन तीनों दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रदर्श पी-2 के दस्तावेज के अनुसार खसरा नम्बर 40/1 रकबा 5.103 हे0 रामसिंह पिता बुद्धसिंह, कमलेश, अनीता, संतोष के नाम से दर्ज है इसमें वादीगण का नाम दर्ज नहीं है। प्रदर्श पी-3 के अनुसार रामसिंह पिता बुद्ध के नाम से खसरा नम्बर 54 रकबा 14.21 एकड़ भूमि दर्ज है। पृथक से रामसिंह, सोनसिंह, मंगलसिंह के नाम 1954-55 की जमाबंदी अनुसार का नाम दर्ज किया जाना लाल स्याही से लेख है किन्तु उसका आधार लेख नहीं है। किसके आदेश से दर्ज का उल्लेख नहीं है। किस दिनांक को दर्ज किया गया है उसका उल्लेख नहीं है।

15. उजियार सिंह (वा.सा.1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 9 में यह स्वीकार किया कि विवादित भूमि वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज है। यह भी स्वीकार किया है कि साक्षी के पिताजी के फौत होने के बाद अभी तक राजस्व अभिलेखों में साक्षी का नाम नहीं आया है। यह इंकार किया है कि 1954-55 के पूर्व विवादित भूमि केवल रामसिंह के नाम दर्ज थी। यह भी स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर साक्षी ने कभी कर्ज नहीं लिया। पद क्रमांक 10 में स्वीकार किया है कि साक्षी के नाम से कोई भूमि नहीं आई है, पिता की मृत्यु के पश्चात साक्षी ने आवेदन दिया था लेकिन पटवारी ने नाम दर्ज नहीं किया। इस संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही साक्षी ने नहीं की। यह भी स्वीकार किया है कि वर्तमान समय में प्रतिवादीगण ने धान की फसल बोई है।

16. (वा.सा.3) शंभूलाल ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 7 में स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर रामसिंह, कमलेश, संतोष और अनीता का नाम दर्ज है। यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व में विवादित भूमि पर रामसिंह का नाम दर्ज था, रामसिंह के मरने के बाद कमलेश, संतोष, अनीता का नाम भूमि पर दर्ज हुआ। यह भी स्वीकार किया है कि उजियारसिंह व अन्य वादीगण का विवादित भूमि पर कभी नाम नहीं आया। यह भी स्वीकार किया है कि साक्षी ने जब से होश संभाला है तब से विवादित भूमि पर रामसिंह का नाम चला आ रहा है। यह स्वीकार किया है कि वर्तमान समय पर प्रतिवादीगण ही उक्त भूमि पर कास्त करते हैं।

17. कमलेश प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 ने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 9 में साक्ष्य दी है कि विवादित भूमि के भू अधिकार अभिलेख सन् 1954-55 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श डी-1 है, वर्तमान खसरा पांचसाला प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी-2 है, नक्शा प्रति प्रदर्श पी-3 है। विवादित भूमि का सन् 1970-75 का खसरा पांचसाला प्रतिलिपि प्रदर्श डी-4 तथा वर्ष 1975 से 1980 के खसरा नक्शा प्रतिलिपि प्रदर्श डी-5 है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 12 में कथन किया कि विवादित भूमि रामसिंह द्वारा कय की गई थी इसलिए उसका नाम दर्ज हुआ था और उक्त भूमि को साक्षी के नाम दर्ज करवाया था। साक्षी ने स्वतः कथन किया है कि सुक्कोबाई फौत हो गई थी इसलिए साक्षी का अनीता और संतोष का नाम दर्ज हुआ था। यह स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि के मध्य से 1 एकड़ भूमि में नहर बनी है। यह इंकार किया है कि बुद्धू के तीनों लड़के रामसिंह, सोनसिंह, मंगलसिंह भूमि कमाते थे।

18. इस साक्षी ने पद क्रमांक 13 में स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी-1 में रामसिंह, सोनसिंह, मंगलसिंह का नाम दर्ज है परन्तु नायब तहसीलदार के आदेशानुसार उनका नाम राजस्व रिकार्ड से काटा गया है। साक्षी ने स्वीकार किया है कि रामसिंह ने उसके जीवनकाल में राजस्व प्रलेखों में साक्षी का संतोष का अनीता का नाम दर्ज करवा दिया था। रिकार्ड दुरुस्ती कार्यवाही रामसिंह द्वारा की गई थी। यह इंकार किया कि विवादित भूमि खानदानी थी।

19. दिलीप सिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 2, जालमसिंह प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 3 के संपूर्ण प्रतिपरीक्षण में प्रतिवादी साक्षी क्रमांक 1 कमलेश के प्रतिपरीक्षण में आई साक्ष्य का खण्डन न होकर पुष्टि होती है। प्रदर्श डी-1, प्रदर्श डी-2 और प्रदर्श डी-4 और प्रदर्श पी-5 के अध्ययन से अपीलार्थीगण/वादीगण के पक्ष में अपील निष्कर्षित करने के लिए वादीगण और उनके पिता का वादभूमि में स्वामी के रूप में अथवा कब्जाधारी के रूप में नाम प्रविष्ट होने के प्रमाणस्वरूप राजस्व प्रलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश

नहीं हैं। अपीलार्थीगण/वादीगण की मौखिक साक्ष्य स्वयं के आधिपत्य के संबंध में खसरा किस्तबंदी नकलों की प्रमाणित प्रतिलिपियां पेश कर प्रमाणित न किये जाने से ग्राह्य नहीं है। संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद निरस्त कर तथ्यात्मक त्रुटि नहीं की है, विधि की त्रुटि नहीं की है तथा साक्ष्य के मूल्यांकन में त्रुटि नहीं की है।

20. उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 14.03.2016 की पुष्टि की जाती है।

{अ} उभयपक्ष अपना-अपना अपील व्यय वहन करेंगे।

{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

{स} तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

19. निर्णय की एक प्रति संबंधित न्यायालय की ओर मूल अभिलेख के साथ संलग्न कर भेजी जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Civil Procedure Code, 1908, Order XLI, Rule 35)

CIVIL APPEAL No. RCA 26 OF 2017

IN THE COURT OF माखनलाल झोड़, द्वि.अपर जिला न्यायाधीश बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय बैहर

- 1-उजियारसिंह आयु 55 वर्ष पिता स्व. सोनसिंह जाति गोंड
2- सुनीताबाई आयु 45 वर्ष पति स्व. दादुलाल जाति गोंड
3- विनोद आयु 38 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
4- मनोज आयु 35 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
5- रिकेश आयु 21 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
6- मुकेश आयु 19 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
7- जयसवाल आयु 48 वर्ष पिता स्व. दादुलाल जाति गोंड
सभी निवासी-ग्राम दानुटोला तहसील परसवाड़ा
जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - अपीलार्थीगण

-// विरुद्ध // -

- 1- कमलेश आयु 32 वर्ष पिता सुन्दरलाल जाति गोंड
2- संतोष आयु 29 वर्ष पिता सुन्दरलाल जाति गोंड
3- अनीता आयु 38 वर्ष पिता सुन्दरलाल जाति गोंड
सभी निवासी-ग्राम मोहबट्टा तह. बैहर जिला बालाघाट
3- म0प्र0 शासन द्वारा :-
कलेक्टर, जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - उत्तरवादीगण

=====

Appeal from the decree of the Court व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर के
अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 बैहर जिला बालाघाट dated the 14
day 03-2016 Civil Suit No.103A... of 2014.

This appeal coming on for hearing on the 06 day of NOVEMBER 2017
before me in the presence of-

श्री आर.के. पाठक अधिवक्ता for the appellant and of
श्री एम.पी.शरणागत अधिवक्ता for the respondent No. 1, 2,3
कोई नहीं। for the respondent No. 4

It is ordered and decreed that -

प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अस्वीकार कर निरस्त की जाती
है तथा विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञाप्ति दिनांक 14.03.2016
की पुष्टि की जाती है।

- {अ} उभयपक्ष अपना-अपना अपील व्यय वहन करेंगे।
{ब} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।
{स} तदनुसार आज्ञाप्ति बनाई जावे।

P.T.O.

The costs of this appeal, as detailed below amounting to Rupees 700/- are to be Paid by the **Appellants**.

~~The cost of the original suit be paid by the~~

Given under my hand and the seal of the Court, this **07 day of November. 2017.**

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

COSTS OF APPEAL

	Appellant	Amount	Respondent	Amount
1.	Stamp for memorandum of appeal objections or Petitions	700.00	-	-
2.	Stamp for Power	10.00	Stamp for Power	20.00
3.	Stamp for Exhibits	-	Stamp for Petition	-
4.	Service of Processes	-	Service of Processes	-
5.	Pleader's Fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	70.00	Pleader's fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	70.00
6.	Court Fee on Interim App. & Affidavit.	10.00	Court Fee on Interim App. & Affidavit.	-
7.	Translation Fee	-		
	Total :-	790.00	Total :-	90.00
(सात सौ नब्बे रु. सिर्फ)			(नब्बे रु.सिर्फ)	

सही / -

(माखनलाल झोड़)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर